# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
## पीठासीन अधिकारी:– सुभाषचन्द्र आर.ए.एस

...ड प्रकरण संख्या 3/22 (62/15)
...एमएस न. 2022/305
...तानसिंह पुत्र श्री किशन सिहं जाति राजपूत निवासी 70आर बी तहसील रायसिहंनगर जिला ...गानगर(राज.)
...जीतसिंह पुत्र श्री गुलाब सिहं जाति राजपूत निवासी 70आर बी तहसील रायसिहंनगर जिला ...गानगर (राज.)
...हावीर सिहं पुत्र श्री किशन सिहं जाति राजपूत निवासी 70आर बी तहसील रायसिहंनगर जिला श्री ...गानगर (राज.)

प्रार्थीगण:–

बनाम

...मोहनलाल पुत्र श्री गणपत जाति ब्राहम्ण निवासी भादवांवालातहसील रायसिहंनगर जिला श्रीगगांनगर(राज)
...सोहन लालपुत्र श्रीगणपत जाति ब्राहम्ण निवासी भादवांवाला तहसीलरायसिहंनगर जिला श्रीगगांनगर(राज)
...साजनराम पुत्र श्री गणपत जाति ब्राहम्ण निवासी भादवांवालातहसील रायसिहंनगर जिला श्रीगगांनगर(राज)
...माया मृतक:–
.../1.धगन लाल। पिसरान गज्जानन्द , माता का नाम मायादेवी, जाति ब्राहम्ण सा0 2 पी डी ढाणी , सुथार मण्डी तहसील मोहनगढ़ जिला जैसलमेर (राज.)
.../2.मदनलाल ।

अप्रार्थीगण:–

**प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिसघृति अधिनियम1955 की धारा 251 क की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन।**

उपस्थिति :–

1. श्री परविन्द्र बिश्नोई , अधिवक्ता , प्रार्थीगण
2. श्री अवतार सिहं बराड़, अधिवक्ता , अप्रार्थीगण

–: निर्णय :–

दिनांक:–20.03.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी सुल्तानसिहं श्री किशन सिह व अजीतसिहं पुत्र श्री गुलाब सिहं व महावीरसिहं पुत्र किशन सिहं जाति राजपूत निवासी 70आर बी तहसील रायसिहंनगर जिला श्री गगांनगर (राज.) ने प्रार्थना पत्र राज.अभि. अधि.नियम 1955 की धारा 251–क प्रस्तुत करने पर दोनों पक्षों के सुनने के उपरान्त इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.01.2017 के द्वारा वाके चक 70 आर बी तहसील रायसिहंनगर के प.न. 204/278 मु.न. 45 के कि.न.11/2, 12/1, 13/1, 14/2, 15/1, एवं 16 ता 25 में आने जाने हेतु रास्ते के लिए वाके चक 70 आर बी तहसील रायसिहंनगर के प.न. 205/278 मु.न. 44 कि.न. 21 ता 25 में से प्रत्येक कि.न. में दो बिस्वा भूमि रास्ते हेतु स्वीकृत किया गया। प्रार्थीगण रास्ते की एवज में मुआवजे के रूप में जितनी भूमि अप्रार्थीगण की रास्ते में जायेगी उसके बराबर भूमि अप्रार्थीगण के चिपते रकबे के पास दी जायेगी उसके पश्चात् ही रास्ते भूमि का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में किया जावे।
2. इस निर्णय के विरूद्व अप्रार्थी मोहनलाल वगैरा ने श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी श्री गंगानगर के यहॉ अपील सं. 08/2017 अनवान मोहन लाल आदि बनाम सुल्तानसिह वगैरा प्रस्तुत करने पर उनके निर्णय दिनांक 16.11.2017 के अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.01.2017 को निरस्त किया गया।
3. श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकरी श्री गंगानगर के निर्णय दिनांक 16.11.2017 के विरूद्व अप्रार्थी सुलतान सिहं वगैरा ने माननीयय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के यहॉ निगरानी/टी.ए/संख्या 7550/2017 श्री गंगानगर अनवान सुलतान सिहं आदि बनाम मोहनलल आदि प्रस्तुत की हैं। उनके निर्णय दिनंक 31.03.2022 परिणामत: निगरानी प्रार्थीगणा आंशिक स्वीकार की जाती है [illegible] अपील प्राधिकारी , श्री गगांनगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16[illegible] न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), रायसिहंनगर [illegible] 2017 खारिज किये जाते है [illegible] किया गया कि वे प्रकरण के तथ प्रकरण इस न्यायालय [illegible] निर्देश के [illegible] काश्त. अधि. 1955 की धारा 251 समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों [illegible] सार्वजनिक रास्ते के बजाय नि[illegible] –ए एवं उसकी क्रिया[illegible] से विधिसम्मत आदेश पारित आवश्यक रास्ते को दृष्टिगत रखते हुये नय[illegible] निर्णय की प्रति सहित प्रकरण इस न्यायालय लौटाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.04.24 16:23:53 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

उक्त प्रकरण का मूल रिकॉर्ड इस कार्यालय को प्राप्त होने पर रिमाण्ड प्रकरण दर्ज किया गया। प्रार्थीगण की ओर से श्री परविन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता हाजिर आये। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से श्री अवतार सिंह बराड अधिवक्ता हाजिर आये। साथ में प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.08.2022 को प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीयां फिरोजी देवी की मृत्यु हो चुकी है। वकील प्रार्थी सुल्तान सिहं ने दिनांक 23.09.2022 को प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र के आदेश 1 नियम 10 व 151 सीपीसी का मय दस्तावेज सूची सहित प्रस्तुत कर निवदेन किया कि मतृक फिरोजीदेवी के वाारिसों को रिकॉर्ड पर लिया जावे। जबाव प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.11.2022 को अप्रार्थी मोहन लाल ने जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया। दोनां पक्षों को सुन कर दिनांक 14.12.2022 को प्रा.पत्र आदेश 1 नियम 10 व 151 सीपीसी स्वीकार किया गया। तथा फिरोजी देवी को विलोपित कर माया देवी पुत्री गणपत को बतौर अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि मायादेवी की भी मृत्यु हो चुकी है। उसके वारिसान को अप्रार्थी प्रतिस्थापित करवाने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 व 151 सीपीसी दिनांक 3.01.2023 को प्रस्तुत किया। जिसका जबाव वकील अप्रार्थीगण के द्वारा जबाव प्रा. पत्र प्रस्तुत न करने पर जवाब बन्द किया गया। प्रा.पत्र पर बहस पक्षकारन सुनी गई। पक्षकारों को सुनने के उपरान्त उक्त प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 व 151सीपीसी का दिनांक 17.01.2023 को स्वीकार किया जाकर संशोधन शीर्षक प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थी सं. 4/1, 4/2 हाजिर नहीं आने पर उनका नोटिस अखबार में छाया करवाया गया। उसके बावजूद हाजिर नहीं आने पर अप्रार्थी स. 4/1, 4/2 के विरूद्व दिनांक 20.06.2024 के एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण का जबाव प्रा.पत्र प्राप्त हो चुक है।

5. तहसीलदार रायसिहंनगर से मैाका जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2023/1205 दिनांक 30.06.2023 के अवगत करवाया कि उपतहसीलदार गजसिंहपुर के मुताबिक जमाबन्दी के प्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में चक 70 आर बी के खाता सं. 104 प.न. 204/278 मु.न. 45 में 3.162 है0 नहरी/बारानी भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है (हिस्सा व रहन जमाबन्दी बदस्तूर)है। अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में चक 70 आर बी के खाता सं. 45 प.न. 205/278 मु.न. 44 में 4.4508है0 नहरी/बारानी भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। (हिस्सा जमाबन्दी बदस्तूर) प्रार्थीगण अपनी संयुक्त खाता की भूमि चक 70 आर बी के प.न. 204/278 मु.न. 45 में 3.162 है0 नहरी/बारानी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की भूमि मु.न. 44 के कि.न. 21 ता 25 प्रत्येक में दो दो बिस्वा रास्ता की मांग की है। मुताबिक फर्द मौका रिपोर्ट प्रार्थीगण के खेत में आवागमन हेतु कोई स्वीकृत शुद्धा अथवा चालू रास्ता मैाके पर नहीं है। प्रार्थी द्वारा रास्ते की मांग आत्यांतिक आवश्यकता की श्रैणी में आती है। प्रार्थीगण के खेत में जाने हेतु अन्य केई वैकल्पिक मार्ग भी मौका पर नही है। चक 70 आर बी में प्रार्थीगण के खेत में मु.न. 45 में आवागमन हेतु मु.न. 44 के कि.न. 23 ता 25 में की गई रास्ता की मांग ही भारतमालाा सड़क (रायसिंहनगर से गजसिंहपुर सडक) से निकटतम दुरी पर है। अतःप्रार्थीगण के खेत में आवागमन हेतु चक 70 आर बी के प.न. 204/278 मु.न. 44 के कि.न. 23 ता 25 प्रत्येक में कुल 0.075 है0 रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है। मूल रिपोर्ट उपतहसीलदार गजसिंहपुर रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक मय नजरी नक्शा व जमाबन्दी की सलंग्न की गई है।

6. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा मांगा गया रास्ता स्वीकृत किया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में उनके द्वारा प्रस्तुत जबाव प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा स्वयं [illegible] द्वारा चाहे गये रास्ता का निरीक्षण किया जावे के बाद प्रार्थी[illegible] रास्ता का प्रा.पत्र खारिज एव स्वीकार किया जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा [illegible] के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गहनता से मनन किया तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा चाहे गये रास्ते का स्वय निरीक्षण किया गया चक 70 आर बी तहसील[illegible] रायसिंहनगर के प.न. 204/278 मु.न.

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.04.24 16:23:53 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

45 कि.न. 11/2,12/1,13/1, 14/2, 15/1, एवं 16 ता 25 कुल किता 15 रकबा 3.162 है0 प्रार्थीगण व अन्य की खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 70 आर बी के मु.न. 45 के आंशिक नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त कि.न. में आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। जिसके कारण प्रार्थीगण खातेदारों को ट्रैक्टर, हल, बीज, कृषि उपज इत्यादि को अपने खेतों पर लाने से जाने में परेशानी होती है। तहसीलदार रायसिंहनगर ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.06.2023 में रास्ता स्वीकृत किये जाने की अभिशाषां की है। उक्त खेतों पर आने जाने हेतु चक 70 आर बी के प.न. 205/278 मु.न. 44 के कि.न. 21 ता 25 में से रास्ता स्वीकृत किया जाना सुविधाजन एवं उचित प्रतीत होता है। अतः चक 70 आर बी 204/278 मु.न. 45 कि.न. 11/2,12/1,13/1, 14/2, 15/1, एवं 16 ता 25 कुल किता 15 रकबा 3.162 है0 पर आने जाने हेतु चक 70 आर बी तहसील रायसिहंनगर प.न. 205/278 मु.न. 44 के कि.न. 23 ता 25 में से प्रत्येक किला में पत्थर लाईन पर 0.025–0.025 है. कुल 0.075 है. भूमि रास्ता हेतु स्वीकृत की जाती है। प्रार्थीगण रास्ते की एवज में मुआवजे के रूप में जितनी भूमि अप्रार्थीगण की रास्ते में जायेगी प्रार्थीगण वर्तमान डी.एल.सी.दर से दुगनी राशि जमा करवाने पर ही, उसके पश्चात् ही रास्ते भूमि का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में किया जावे। चूकि प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक मार्ग का अभाव है एवं प्रार्थीगण की रास्ता की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता की श्रेणी की है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

**–: क्रियात्मक आदेश :–**

**अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्राथीगण अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अप्राथीगण की भूमि चक 70 आर बी तहसील रायसिहंनगर के प.न. 204/278 मु.न. 45 के कि.न. 11/2,12/1,13/1, 14/2, 15/1, एवं 16 ता 25 में आने जाने हेतु रास्ते के लिए चक 70 आर बी तहसील रायसिहंनगर के प.न. 205/278 मु.न. 44 के कि.न. 23 ता 25 में से प्रत्येक किला में पत्थर लाईन पर 0.025–0.025 है. कुल 0.075 है. भूमि में गै. मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थीगण अप्राथीगण को अप्राथीगण की रास्ता में आई भूमि की एवज में आई भूमि की डी.एल. सी. दर की दो गुणा राशि अदा करेगा। तहसीलदार रायसिहनगर प्रार्थीगण से प्रतिकर राशि जमा कर नियमानुसार अप्रार्थीगण को उनके अंश अनुसार भुगतान करे एवं स्वीकृतशुद्वा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे।**

निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.04.24 16:23:53 IST
Reason: SelfAttested

( सुभाष चन्द्र )
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

AnyScanner